

प्रेस-विज्ञप्तिथाना सरायमीरगैरेस्टर एक्ट के 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ-पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर, लूटेरे, वांछित अपराधी से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 08.06.2021 को थाना स्थानीय मु०अ०सं० 78/2021 धारा 3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. गोरख पुत्र छाजीलाल 2. अरविन्द पुत्र छाजीलाल सा० सुरही खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़को समय करीब 05.50 बजे उनके घरों से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया गया।

पुछताछ का विवरण:-

पुछताछ में अभि० गण द्वारा अपनी हुई गलती का बार बार माफी मांग रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 78/2021 धारा 3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. गोरख पुत्र छाजीलाल सा० सुरही खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. अरविन्द पुत्र छाजीलाल सा० सुरही खुर्द थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 78/2021 धारा 3(1) यूपी गैरेस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 132/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु०अ०सं० 133/2020 धारा 419/420/411/414 भादवि व 60/72 आबकारी अधि० थाना सरायमीर, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र० नि० अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. हे०का० विहंगल यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का० ऋषभ शुकला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौलासेल्सन पर जानलेवा हमले के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.01.2020 को वादी मुकदमा श्री सिद्धू निषाद पुत्र बल्ली निषाद ग्राम बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला ने थाना स्थानीय पर शिकायत दर्ज करायी कि जनपद आजमगढ़ में देशी (लायसेन्सी) शराब की दुकान बनहर मय चक गजड़ी का सेल्सन हूँ। दिनांक 30/1/2020 को समय करीब 5 बजे शाम को (1) झिनकु पुत्र सतिराम (2) अजय निषाद पुत्र चुन्नी (3) सुग्रीव पुत्र रणधीर (4) अमर पुत्र टिल्लू निषाद निवासीगण बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ एक साथ देशी शराब की दुकान पर आए और फ्री में शराब मागने लगे। मेरे द्वारा ना देने पर गाली गलौज देते हुए ईंट पत्थर चलाते हुए दरवाजे के पास आ गये मैं अपनी दुकान का दरवाजा बन्द करने लगा तो झिनकु पुत्र सतिराम ने अपने पास लिए नाजायज कट्टा जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया किसी तरह दीवार की आड़ लेकर बाल बाल बच गया इसकी सूचना डायल 112 व थाना को दिया तब वह चारो व्यक्ति कट्टा लहराते हुए भाग गये। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 06/2020 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ०नि० प्रभात चन्द्र पाठक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया, लूटेरो, चोर की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपूर के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष उ०नि० श्री प्रभात चन्द्र पाठक मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण सुग्रीव पुत्र रणधीर व अमर पुत्र टिल्लू निषाद निवासीगण बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बनहर मय चक गजड़ी से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया अन्य अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 0006/2020 धारा 307/504 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुग्रीव पुत्र रणधीर निवासी बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
2. अमर पुत्र टिल्लू निषाद निवासी बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 प्रभात चन्द्र पाठक मय हमराही पुलिस बल, थाना-अहरौला, आजमगढ़।

थाना- गम्भीरपुर

दहेज उत्पीड़न में दो गिरफ्तार

श्रीमती शान्ति देवी पत्नी रमेश चौरसिया सा0 बिलारमऊ थाना फूलपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0 अ0 सं0 85/21 धारा 498ए, 326 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम विनोद पुत्र कविराज सा0 बहोरापुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ आदि 04 नफर के बाबत वादिनी मुकदमा के पुत्री सोनी को दहेज हेतु प्रताडित करना खाना न देना व सोनी को जला देना जिससे सोनी का पैर का कुछ हिस्सा जल जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/21 धारा 498 ,326 भादवि व 3/4 डी0पी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पुष्पा चौरसिया पत्नी कविराज चौरसिया व एक नफर अभियुक्त विनोद चौरसिया पुत्र कविराज चौरसिया सा0 बहोरापुर को उनके घर ग्राम बहोरापुर से कारण गिरफ्तारी बताकर आज दिनांक 8.6.21 को 06.45 बजे हिरासत पुलिस में लेकर कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण द्वारा अपनी सफाई मा0 न्यायालय में जरिये अधिवक्ता देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 85/21 धारा 498ए, 326 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त 1. विनोद चौरसिया पुत्र कविराज चौरसिया सा0 बहोरापुर 2. पुष्पा चौरसिया पत्नी कविराज चौरसिया सा0 बहोरापुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- SHO ज्ञानू प्रिया मय हमराह का0 सन्तोष कुमार मिश्रा व म0का0 स्वप्निल सक्सेना थाना-गम्भीरपुर, आजमगढ़

थाना जहानागंज

लकड़ी को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15.03.2021 को वादी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना कार्यालय आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की लकड़ी को बहला फूसलाकर भगा ले गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक- 08.06.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 52/2021 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र जब्बार ग्राम कनैला थाना जहानागंज आजमगढ़को अभियुक्त के घर से समय करीब 8.30 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण:-निजामुद्दीन पुत्र जब्बार ग्राम कनैला थाना जहानागंज आजमगढ़बदरियाफ्त मुकदमा उपरोक्त के संबन्ध में पूछ-ताछ करने पर जुर्म स्वाकीर करते हुए अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता माननीय न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 52/2021 धारा 363/366 भादवि थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:- निजामुद्दीन पुत्र जब्बार ग्राम कनैला थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मय हमराह थाना-जहानागंज, आजमगढ़।

थाना तरवाँ

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ़ श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक तरवाँ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.06.2021 को उ0नि0 ओमप्रकाश नारायण सिंह मय हमराह कर्म0गण के साथ चौकी से रवाना होकर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में मसरूफ होकर व मुकदमा उपरोक्त में काफी दिनों से वांछित चल रहे अभि0 अर्जुन उपरोक्त की तलाश बोंगरिया बाजार में मामूर था कि मुखबिर खास आकर बताया कि साहब आप जिस मुल्जिम की तलाश में वह इस समय बोंगरिया बाजार में पौहरी बाबा जाने वाले तिराहे पर खड़ा है तथा किसी के आने का इंतजार कर रहा है। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। कि मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराह के तथा मुखबिर को साथ लेकर बोंगरिया बाजार से आगे पौहरी बाबा तिराहा के लिये चल दिये 20 कदम तिराहे पर खड़ा एक व्यक्ति मुखबिर ईशारा करके वहां से हट बढ़ गया कि तिराहे पर खड़ा व्यक्ति हम लोगो को देखकर पौहरी बाबा जाने वाले रोड पर 1020 कदम जाते जाते घेर कर पकड़ लिया गया तथा उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अर्जुन कुमार पुत्र ब्रह्मदेव सा0 सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ बताया जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभि0 है को मुकदमा उपरोक्त से अवगत कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 09.00. बजे हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 73/2019 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 31/2020 धारा 379/411/419/420 भा0द0वि0 थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1- अर्जुन कुमार पुत्र ब्रह्मदेव सा0 सुल्तानीपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1- उ0नि0 ओमप्रकाश नारायण सिंह मय हमराह थाना-तरवाँ, आजमगढ़।

थाना-रौनापार

जमीनी विवाद में महिला के साथ मारपीट करने वाले तीन गिरफ्तार

श्रीमतीमीना पत्नी जयप्रकाश सा0 महुला (छोटी छितौनी) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर विपक्षीगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादिनी व उसकी सास (छोहाडी देवी) तथा उसके पुत्र (वीरू) को ललकारते हुए सभी लोगो द्वारा मिल कर लाठी - डण्डा व लोहे की पाइप से मारना पीटना जिससे वादिनी व उसकी सास तथा उसके पुत्र के सर व पूरे शरीर में काफी चोटे आना तथा गाँव वालो द्वारा ब्लाक से रेफर होने के बाद जीयनपुर लाइफ नर्सिंग होम में भर्ती कराना तथा वादिनी की सास के सीरियस होने पर रात्रि करीब 08.00 बजे सदर अपस्ताल रेफर कर देना जहाँ पर इलाज के दौरान वादिनी की सास की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 77/21 धारा 147/148/323/304/352 भादवि बनाम (1) रामनयन पुत्र स्व0 अलगू (2) राजकुमार पुत्र रामनयन (3) संतोष पुत्र रामनयन (4) राकेश पुत्र रामनयन (5) सीमा पत्नी राजकुमार (6) विद्या पत्नी रामनयन (7) उजाला पुत्री रामनयन (8) प्रतिज्ञा पुत्री राजकुमार (9) लछीराम पुत्र लालचन्द (10) बुल्ला पुत्र उमराव निवासीगण महुला (छोटी छितौनी) थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कड़े निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ व थानाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में उ0नि0 श्री मदन कुमार गुप्ता मय हमराह थाना रौनापार द्वारा त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम खोजौली बाजार पर अभियुक्तगण 1. राकेश पुत्र रामनयन 2. विद्या देवी पत्नी रामनयन 3. सीमा पत्नी राजकुमार निवासीगण छोटी छितौनी महूला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को पकड़ लिया गया। तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को समय 11.10 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बयान अपने जुर्म से इंकार करते हुए अपना बयान अधिवक्ता के माध्यम से मा० न्यायालय मे देने हेतु बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग-1.मु०अ०सं० 77/21 धारा 147/148/323/304/352 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- (1) राकेश पुत्र रामनयन सा० छोटी छितौनी महूला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- (2) विद्या देवी पत्नी रामनयन सा० छोटी छितौनी महूला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- (3)सीमा पत्नी राजकुमार सा० छोटी छितौनी महूला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ०नि० मदन कुमार गुप्ता थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 2.का० रामचन्द्रथाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० संदीप शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
- 4.म०का० सुशीला देवी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. म०का० जया द्विवेदी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़